

राजस्थान सरकार
वित्त (कर) विभाग

क्रमांक प. 7(30)वित्त/कर/2021

जयपुर, दिनांक 06 OCT 2021

आदेश

राजस्थान वाणिज्यिक कर सेवा नियम, 1971 (समय समय पर संशोधित) के तहत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की वर्ष 2021-22 की दिनांक 23.09.2021 को सम्पन्न बैठक की अभिशंषा पर निम्नांकित उपायुक्त को योग्यता-सह-वरिष्ठता के आधार पर अतिरिक्त आयुक्त के पद पर उनके समक्ष अंकित रिक्ति उपलब्धता तिथि से एतद्वारा पदोन्नत किया जाता है :-

क्र.सं.	नाम	वर्ग	रिक्ति दिनांक
1	श्री शिव कुमार शर्मा		01.10.2021

उपरोक्त अधिकारी अपने वर्तमान पद पर, इस पद को अस्थाई रूप से यथा आवश्यक क्रमोन्नत मानते हुए, कार्यग्रहण कर अग्रिम आदेशों तक यथावत कार्यरत रहेंगे एवं यथा आवश्यकता अपने वर्तमान पद का कार्यभार सम्पादित करेंगे, जिसके लिए उन्हें अतिरिक्त कार्यभार आदि देय नहीं होगा। इन पदों के विधिक कार्य सम्पादन के संबंध में आवश्यकतानुसार आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान उपयुक्त आदेश जारी करेंगे।

यह पदोन्नतियां माननीय उच्च न्यायालय की डी.बी रिट पिटिशन संख्या 14176/2012 समता आन्दोलन समिति बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में पारित अंतिम निर्णय के अधीन रहेंगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

Sd-

(टी. रविकान्त)

शासन सचिव, वित्त (राजस्व)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री (वित्त) महोदय।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग।
5. आयुक्त, राज्य कर, राजस्थान, जयपुर।
6. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
7. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग।
8. संबंधित अधिकारी द्वारा आयुक्त, राज्य कर, राजस्थान, जयपुर।
9. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव, वित्त (कर)